रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3696] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2019/कार्तिक 23, 1941
No. 3696] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2019/KARTIKA 23, 1941

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2019

का. आ. 4118(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का 9) की धारा-3 की उप-धारा (1) और धारा-3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 2337 (अ), तारीख 8 जुलाई, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है। कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों के आयात को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित उपबंध करती है, अर्थात् :-

1. परिभाषाः- इस अधिसूचना में प्रयुक्त शब्दों और पदों के अर्थ क्रमशः वही होंगे, जो विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार सहिंता में है।

2. आयात का विनियमः-

(1) भारत में कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों का आयात विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता में एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में किए गए उपबंधों और उत्पाद विशिष्ट सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा।

(2) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए मंडल या विभागों की मान्यता, जब निर्यातक देश द्वारा अनुरोध किया जाएगा, पैरा 3 में उल्लिखित अपेक्षाओं के पूरा होने के अध्यधीन होगी।

(3) किसी देश, मंडल या विभाग की एवियन इंफ्लूएंजा की स्थिति विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन को उस देश द्वारा यथासूचित निर्यातक देश, मंडल या विभाग की सबसे हाल ही की स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(4) किसी देश, मंडल या विभाग को एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्त तब माना जाएगा, जब यह दर्शाया गया हो कि विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के उपबंधों के अनुसार निगरानी के आधार पर पिछले 12 महीनों के लिए देश, मंडल या विभाग में कुक्कुटों में एवियन इंफ्लूएंजा विषाणु से संक्रमण मौजूद नहीं है।

(5) यदि किसी पहले से मुक्त देश, मंडल या विभाग में कुक्कुटों में संक्रमण हुआ है तो एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्ति की स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है-

(क) उच्च रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं के संक्रमण के मामले में, स्टैम्पिंग-आउट नीति (सभी प्रभावित स्थापनाओं के विसंक्रमण सहित) लागू होगी, परन्तु उस तीन माह की अवधि के दौरान विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के उपबंधों के अनुरूप निगरानी की गई हो;

(ख) न्यून रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं के संक्रमण के मामले में, कुक्कुटों को विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन मानव उपभोग के लिए वध हेतु रक्षित होगी या किसी एक मामले में स्टैम्पिंग-आउट नीति लागू होगी और सभी प्रभावित स्थापनाओं के विसंक्रमण के तीन माह पश्चात्, परन्तु उस तीन माह की अवधि के दौरान विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के उपबंधों के अनुसार निगरानी की गई हो।

(6) किसी देश, मंडल या विभाग को कुक्कुटों में उच्च रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं के संक्रमण से मुक्त तभी माना जाएगा, जब,-

(क) यह दर्शाया गया हो कि देश, मंडल या विभाग में पिछले 12 महीनों के दौरान कुक्कटों में उच्च रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं से संक्रमण मौजूद नहीं है, हालांकि, न्यून रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं के संबंध में इसकी स्थिति अज्ञात हो सकती है; या

(ख) विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के उपबंधों के अनुसार निगरानी के आधार पर यह एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्ति की स्थिति का मापदंड पूरा नहीं करता है, परन्तु पाये गये किसी भी विषाणु को उच्च रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा विषाणुओं के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है।

(7) देश के भागों या मौजूदा मंडलों या विभागों में निगरानी ऐतिहासिक या भौगोलिक तथ्यों, उद्योग संरचना, आबादी आंकड़ों या हाल ही के प्रादुर्भाव स्थान से सन्निकटता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

(8) यदि कुक्कुटों में संक्रमण किसी पहले से मुक्त देश, मंडल या विभाग में पाया गया है, तो उच्च रोगजनक एवियन इंफ्लूएंजा मुक्त स्थिति, स्टैम्पिंग-आउट नीति (सभी प्रभावित स्थापनाओं के विसंक्रमण सहित) लागू करने के तीन माह पश्चात पुनः प्राप्त की जा सकती है, परन्तु उस तीन माह की अवधि के दौरान विश्व पशुधन स्वास्थ्य संगठन के स्थलीय पशु स्वास्थ्य आचार संहिता के उपबंधों के अनुरूप निगरानी की गई हो।

3. मंडलों और विभागों की मान्यता:-

i. मंडलों या विभागों को मान्यता देने के प्रयोजनार्थ निर्यातक देश का उपयुक्त प्राधिकरण आवश्यक साक्ष्यों के साथ भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग को आवश्यक साक्ष्य के साथ लिखित में अनुरोध करेगा।

ii. निर्यातक देश की स्वच्छता संबंधी क्षेत्रीय विशिष्टताओं के प्रति अनुकूलन, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और इस अधिसूचना को मौजूदा दिशानिर्देशों के साथ सामंजस्यता से पढ़ा जाए।

[फा.सं. एल.-110109(4)/9/2017-व्यापार]

जी.एन.सिंह, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2019

S.O. 4118(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 3 and Section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 (9 of 1898) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2337 (E), dated the 8th July, 2016, except of respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby makes the following provisions to regulate the import of poultry and poultry products, namely:-

1. Definitions.– The words and expressions used in this notification shall have the meaning respectively assigned to them in the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health.

2. Regulation of import.-

(1) The import of poultry and poultry products into India shall be done in accordance with the provisions and the product-specific recommendations related to avian influenza in the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health.

(2) For the purposes of this notification, the recognition of zones or compartments, when requested by the exporting country, shall be subject to the fulfilment of the requirements contained in paragraph 3.

(3) The avian influenza status of a country, zone or compartment shall be determined on the basis of most recent status of the exporting country, zone or compartment as reported by the country to the World Organisation for Animal Health in accordance with the requirements of the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health.

(4) A country, zone or compartment may be considered free from avian influenza when it has been shown that infection with avian influenza viruses in poultry has not been present in the country, zone or compartment for the past twelve months, based on surveillance in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health.

(5) If infection has occurred in poultry in a previously free country, zone or compartment, avian influenza free status can be regained,-

(a) in the case of infections with high pathogenicity avian influenza viruses, three months after a stamping-out policy (including disinfection of all affected establishments) is applied, provided that surveillance in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health has been carried out during that three-month period;

(b) in the case of infections with low pathogenicity avian influenza viruses, poultry may be kept for slaughter for human consumption subject to conditions specified in the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health or a stamping-out policy may be applied, in either case, three months after the

disinfection of all affected establishments, providing that surveillance in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health has been carried out during that three-month period.

(6) A country, zone or compartment may be considered free from infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry when,-

(a) it has been shown that infection with high pathogenicity avian influenza viruses in poultry has not been present in the country, zone or compartment for the past twelve months, although its status with respect to low pathogenicity avian influenza viruses may be unknown; or

(b) based on surveillance in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health, it does not meet the criteria for freedom from avian influenza but any virus detected has not been identified as high pathogenicity avian influenza virus.

(7) The surveillance may need to be adapted to parts of the country or existing zones or compartments depending on historical or geographical factors, industry structure, population data, or proximity to recent outbreaks.

(8) If infection has occurred in poultry in a previously free country, zone or compartment, high pathogenicity avian influenza free status can be regained three months after a stamping out policy (including disinfection of all affected establishments) is applied, providing that surveillance in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of World Organisation for Animal Health has been carried out during that three-month period.

3. Recognition of zones and compartments.-

(1) For the purpose of recognition of zones or compartments, the appropriate authority of the exporting country shall make a written request along with the necessary evidence to Government of India in the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying.

(2) The adaptation to the sanitary regional characteristics of the exporting country shall be made in accordance with guidelines issued by the Central Government from time to time and this notification shall be read in consonance with the extant guidelines.

[F. No. L-110109(4)/9/2017-Trade]

G.N. SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.11.15 13:51:48 +05'30'